न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 14/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 जबरसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी डूडसी तहसील जालोर जिला जालोर		1 जयसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी आकोली तहसील जालोर 2 जोरसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी आकोली तहसील जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री तेजसिंह बालावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14.2.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2012 बअनवान जयसिंह बनाम जबरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आकोली तहसील जालोर के खसरा नम्बर 1447, 1448 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1449, 1451 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2015 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। इसके पश्चात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसमें यह तय किया गया कि खसरा नम्बर 1463, 1464, 1465, 1466 व 1447 की उत्तर–पूर्वी माठ पर रास्ता देने में दोनों पक्ष सहमत है तथा यह रास्ता रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में जाता है, जो निकटतम हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमियों में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि भू0अ0नि0 द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के अलावा अन्य निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। जबकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा में जिस भूमि में से रास्ता दिए जाने का निवेदन किया है, वह निकटतम है, जहां मौके पर रास्ता विद्यमान हैं। इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य हैं।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त भूमि में आवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार जांच कर निकटतम मार्ग होने के कारण अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया। अपीलाण्ट अनपढ़ व्यक्ति है, इस कारण मुगालते में रखते हुए राजीनामा पर हस्ताक्षर करवा लिए। न्यायालय हाजा के समक्ष भी राजीनामा प्रस्तुत करवाया, जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था, कि अपीलाण्ट गलत रूप से राजीनामा तस्दीक करवाना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम आकोली के खसरा नम्बर 1450 व 1451 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1447, 1448 व 1449 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जालोर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जालोर द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2012/2289 दिनांक 14.06.2012 के जरिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 1447 रकबा 06.05 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर से प्रकरण संख्या 30/10 में दिनांक 07.05.2010 से स्थगन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश प्रभावी होना बताया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1447 की पश्चिमी माठ पर रास्ता उपलब्ध होना बताया, जो निकटतम होना जाहिर किया। इसके अतिरिक्त यह भी जाहिर किया कि खसरा नम्बर 1463, 1467, जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहन की भूमि है एवं खसरा नम्बर 1452 स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है, उसकी माठ से होकर रास्ता दिया जा सकता है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में दिनांक 23.06.2015 को निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 1447, 1448 व 1449 में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश को न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 03/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 के जरिये अपास्त किया जाकर इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनकर यदि संभव हो, एवं मौके की जांच कर खसरा नम्बर 1447 की पश्चिमी–दक्षिणी रास्ते में से खसरा नम्बर 1464, 1465 से होकर खसरा नमबर 1467 की पूर्वी माठ से होते हुए खसरा नम्बर 1450 में जाने का रास्ता देने सम्बन्धित आदेश पारित करें। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को पुनः तलब किया गया। इसके पश्चात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1466, 1464, 1465, 1463, 1447 की उत्तरी पूर्वी माठ पर रास्ता प्रदान कराने में सहमति व्यक्त की। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांक 23.06.2015 के अनुरूप दिए गए रास्ते को बदस्तूर रखते हुए आदेश पारित कराने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः भू0अ0नि0 से मौका रिपोर्ट तलब की, जिसमें भू0अ0नि0 द्वारा यह जाहिर किया कि पूर्व में जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके अतिरिक्त कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये दिनांक 23.06.2015 के आदेश को ही बहाल रखा गया। प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह रहा कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 03/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 में जिस रास्ते का जिक्र किया गया था, उस रास्ते के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की तथा न ही उन खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में मौका जांच की गई, जिनका विवेचन न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 में किया गया। इस दृष्टिकोण से जैर अपील आदेश त्रुटीपूर्ण पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2012 बअनवान जयसिंह बनाम जबरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.02.2016 को अपास्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर